नम्बर व तारी
अहकाम जो हुक्म
तामील में जारी हु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 69/2023 निर्णय दिनांक :– 15/06/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कजोड़ पुत्र भोजा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. जगदीश पुत्र भोजा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सन्तरा पुत्री भोजा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. सोहनी पत्नी स्व0 भोजा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री आलोक कुमार शर्मा **तहसीलदार देवली**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 446 खसरा नम्बर 2800 रकबा 0.74 है0, खसरा नम्बर 2801 रकबा 1.10 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.84 है0 वाके ग्राम बीजवाड़ पटवार हल्का बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और किसी प्रकार को कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी

शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः— उक्त आराजी खातेदार कजोड़ पुत्र भोजा जाति खटीक सा. दइेह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी पर उक्त खातेदार का ही कब्जाकाश्त है। आवेदक ने बताया कि मेंरा ख. नं. 2791, 2792, 2798, 2803 से सीमा विवाद है, उनको पक्षकार बनाया जाना चाहिए। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमीत राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत **2074—2077** में अंकित खाता संख्या 446 खसरा नम्बर 2800 रकबा 0.74 है0, खसरा नम्बर 2801 रकबा 1.10 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.84 है0 वाके ग्राम बीजवाड़ पटवार हल्का बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक आराजीयात का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को उक्त आराजी भूमि की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

क्रमांकः—भू.अ./20
श्रीमान उपखण्ड अ
देवली(टोंक)